

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

रीडर/2023/1803

दिनांक - 12/05/2023

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 खेताराम 2 चूनाराम 3 मानाराम 4 रामाराम पिसरान उदाराम जाति सुथार निवासी मोतियोणियों का तला, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 सवाईराम पुत्र लालाराम वगैराह जाति सुथार निवासी मोतियोणियों का तला, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 318/2022

दिनांक-

आदेश

18/04/23

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मोतियोणियों का तला पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाड़मेर

ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 413 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419

रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 440 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा संख्या 455 रकबा

0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 761/414 रकबा 2.6952 हैक्टेयर, खसरा संख्या 763/443

रकबा 0.4775 हैक्टेयर, खसरा संख्या 765/442 रकबा 0.8417 हैक्टेयर, खसरा संख्या

766/422 रकबा 1.1007 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7950 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम

स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया


जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये

सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने

बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की

उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये

मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,


बाड़मेर

दिनांक- 12/05/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/1804-07

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खेताराम पुत्र उदाराम जाति सुथार निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सवाईराम पुत्र लालाराम वगैराह जाति सुथार निवासी मोतियोणियों का तला, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर